बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना: एक नजर

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को वित्तीय बाधाओं का सामना किए बिना अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाना और उन्हें अपनी शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाना है।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्र को चार लाख तक मिल सकता है। इस योजना में स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल हैं।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

ऋण राशि: छात्र अपने शैक्षिक खर्चों को कवर करने के लिए चार लाख तक ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें ट्यूशन फीस, किताबें, रहना-खाना, उपकरण और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं।

- ब्याज मुक्त ऋण: यह योजना छात्र के पाठ्यक्रम की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। हालांकि, पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद ब्याज दर पुरुष के लिए 4% और महिला के लिए 1% होगी।
- कोई संपार्श्विक या गारंटर नहीं: इस योजना में छात्रों को ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक या गारंटर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे यह आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए अधिक सुलभ हो जाता है।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: छात्र बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आधिकारिक पोर्टल या नामित केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में आमतौर पर पाठ्यक्रम और संस्थान के बारे में आवश्यक दस्तावेज और विवरण प्रदान करना शामिल होता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के विशिष्ट विवरण और पात्रता मानदंड समय के साथ बदल सकते हैं। सबसे सटीक और अद्यतित जानकारी प्राप्त करने के लिए, आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाने या बिहार में योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

कौन - कौन आवेदन कर सकता है

1. आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2. आवेदक की आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। (पीजी कार्यक्रम के मामले में अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है)

3. आवेदक अपना 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा बिहार के ही किसी विद्यालय से पास किया हो।

4. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (रु. 1000/- प्रति माह) का लाभ लेने वाले छात्र ऋण के पात्र नहीं होंगे।

आवेदन कैसे करें:

1. छात्र को अपना बोनाफाइड प्रमाण पत्र सह शुल्क संरचना प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार कार्यालय से लेना होगा।

2. अपने आवासीय जिले के DRCC कार्यालय में माता-पिता और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ मूल और ज़ेरॉक्स कॉपी के एक सेट के साथ जाएं।

a. विश्वविद्यालय द्वारा जारी बोनाफाइड प्रमाण पत्र।

b. मैट्रिक मार्कशीट और सर्टिफिकेट

c. अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र और मार्कशीट।

d. छात्र और अभिभावक का आधार कार्ड

e. आवासीय प्रमाण पत्र।

f. उम्मीदवार और अभिभावक का पासपोर्ट आकार का फोटो

3. बीएससीसी (ऋण) के लिए आवेदन करने के बाद छात्र को डीआरसीसी कार्यालय से प्राप्ति रसीद मिलेगी।

4. 60 दिनों के भीतर डीआरसीसी मेल/Message के माध्यम से ऋण आवेदन की स्वीकृति के बारे में सूचित करेगा।

5. 90 दिनों के भीतर डीआरसीसी कार्यालय agreement करने के लिए मेल भेजेगा और छात्र को अभिभावक के साथ डीआरसीसी कार्यालय में दी गई तिथि पर उपस्थित होना होगा।

6. एग्रीमेंट साइन करने के 30 से 60 दिनों के भीतर DRCC आवेदक को शुल्क भुगतान के संबंध में मेल / Message भेजेगा।

7. डीआरसीसी द्वार शुलक से संबंधीत मेल या संदेश नहीं मिलने पर आवेदक डीआरसीसी द्वार दिए गए आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर के भी शुल्क से संबंधीत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ध्यान रखे:

1. एग्रीमेंट करने के बाद पहला पेमेंट स्वयं आ जाता है लेकिन आगे के सेमेस्टर के पेमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस से संपर्क करें।
2. आवेदक ये सुनिशचित कर ले कि उनका आधार कार्ड मोबाइल नं. से जुरा हुआ हो।
3. अवेदक को सेमेस्टर रिजल्ट आने के 10 दिनों के अंदर अगले सेमेस्टर के फीस हेतु ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। ऑनलाइन आवदेन करने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क करें।
4. आवेदक अपना 10वीं सर्टिफिकेट के अनुसार नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का मिलान अपने आधार कार्ड से जरूर कर लें।
5. डीआरसीसी द्वारा पेमेंट आने की सूचना विद्यार्थी अपने डीआरसीसी पोर्टल पर लॉगइन कर के देख सकते हैं। पेमेंट आने के साथ विद्यार्थी को यूटीआर नं. यूनिवर्सिटी अकाउंट ऑफिस में जमा कर पेमेंट का रसीद लेना अनिवर्या है।
6. आवेदक एग्रीमेंट में हस्ताक्षर करने के उपरंत उसकी एक प्रति अपने पास जरूर रखें। आगे के हर सेमेस्टर की फीस मांगवाने हेतू जैसा हस्ताक्षर एग्रीमेंट पे किया हो वैसा ही हस्ताक्षर की जरूरत होती है।
7. आवेदक यह ध्यान रखे यह एक लोन है जिसकी पूरी जिम्मेदरी उनके स्वयं की है।
8. अन्य किसी भी विशेष जानकारी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस/एडमिशन ऑफिस से संपर्क करें।